



राज्य पात्रता परीक्षा प्रकोष्ठ
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
रेसीडेन्सी एरिया इन्दौर, (म.प्र.)

विज्ञप्ति

जावक क्रमांक 297 / 2023 / सेट

दिनांक:- 28 / 12 / 2023

विषय :- राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2022 दिनांक 24.11.2023 मराठी विषय का संशोधित एवं दिनांक 05.12.2023 का राजनीति शास्त्र एवं विधि विषय तथा दिनांक 07.12.2023 को सामाज कार्य विषय के घोषित किये गये SET के अतिरिक्त संशोधित परीक्षा परिणाम (प्रावाधिक) ।

राज्य पात्रता परीक्षा 2022 के अन्तर्गत परीक्षा आयोजन पश्चात् निम्न विषयों के परीक्षा परिणाम दिनांक 24 नवम्बर 2023, 05 दिसम्बर 2023 एवं 07 दिसम्बर 2023 को जारी किया गया था । विषय की सूची निम्नानुसार है :-

- (1) 24 / 11 / 2023 - अंग्रेजी, लाईफ साईंस, म्यूजिक, दर्शन शास्त्र, मराठी
- (2) 05 / 12 / 2023 - इलेक्ट्रानिक साइंस, विधि, राजनीति विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, संस्कृत परम्परागत विषय,
- (3) 07 / 12 / 2023 - समाजशास्त्र, समाज कार्य, कम्प्यूटर साइंस, योग और भूगोल ।

परीक्षा परिणाम यू.जी.सी. के दिशा निर्देशों एवं राज्य शासन की आरक्षण नीति के अनुसार घोषित किये गये उपरोक्त पंद्राह विषयों के परीक्षा में परिणाम उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-2/2021/38-1 दिनांक 05.10.2023 के दिशा निर्देशों के अनुसार घोषित किये गये थे, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि सभी विषयों के परीक्षा परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-07-46/2021/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 29.09.2022 के अनुसार कुल स्लॉट का 87% मुख्य भाग घोषित किया जाये तथा 13% प्रावधिक भाग का परीक्षा परिणाम माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लम्बित न्यायालयीन प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के पश्चात् घोषित किये जाना है ।

राज्य पात्रता परीक्षा 2022 के परीक्षा परिणाम हेतु जारी विज्ञप्ति क्रमांक 277 / 2023 / सेट दिनांक 24.11.2023 के जारी विषयों के परिणामों में मराठी विषय के परीक्षा परिणाम में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है UR श्रेणी के 02 अर्ह अभ्यर्थियों के बार कोड को विलोपित कर उनके स्थान पर अनुक्रमांक लिखे गये हैं शेष यथावत रहेगा

निर..... 2

Em

राज्य पात्रता परीक्षा 2022 संशोधित / अतिरिक्त संशोधित परिणाम -

- (A) अर्ह रिक्त संख्या स्लॉट निर्धारित करने पर
 (B) अंतिम चयनित अभ्यर्थी के समान अंक को सम्मिलित किए जाने के पश्चात् कुल वास्तविक अर्ह संख्या
 (C) श्रेणीवार कटऑफ

संशोधित परिणाम (प्रावधिक) - विषय मराठी

SL No	Subject	De tail	UR		OBC		SC		ST		EWS		PH		
			UR	W o me n	OBC	Wo men	SC	Wome n	ST	Wo men	EW S	Wo me n	O H	HH	VH
1	Marathi	[A]	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		[B]	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		[C]	144	-	-	-	-	-	132	-	-	-	-	-	-

विषय मराठी

UR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102454	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ST

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102457	-	-	-	-	-	-	-	-	-

अतिरिक्त संशोधित परिणाम (प्रावधिक) विषय - राजनीति विज्ञान

राज्य पात्रता परीक्षा 2022 के परीक्षा परिणाम हेतु जारी विज्ञप्ति क्रमांक 284/2023/सेट दिनांक 05.12.2023 के जारी विषयों के परिणामों में राजनीति विज्ञान विषय के परीक्षा परीणाम से निम्नानुसार परिवर्तन करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के तकनीकी कारण से घोषित न हो पाए 06 अर्ह अनुक्रमांक को जोड़ा जाता है शेष इस विषय के सभी अर्ह अनुक्रमांक यथावत रहेंगे ।

निरं..... 3

6mm

SL No	Subject	De tail	UR		OBC		SC		ST		EWS		PH		
			UR	Wo men	OBC	Wo men	SC	Wom en	ST	Wo men	EWS	Wo men	OH	HH	VH
1	Political Science	[A]	-	-	48	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		[B]	-	-	60	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		[C]	-	-	184	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-

विषय-राजनीति विज्ञान

OBC

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
192205	193804	191692	193388	191604	195434	—	—	—	—

शेष यथावत रहेगा ।

अतिरिक्त संशोधित परिणाम (प्रावाधिक) विषय - विधि

राज्य पात्रता परीक्षा 2022 के परीक्षा परिणाम हेतु जारी विज्ञप्ति क्रमांक 284/2023/सेट दिनांक 05.12.2023 के जारी विषयों के परिणामों में विधि विषय के परीक्षा परीणाम से निम्नानुसार परिवर्तन करते हुए अन्य अनारक्षित वर्ग के तकनीकी कारण से घोषित न हो पाए 01 अर्ह अनुक्रमांक को जोड़ा जाता है शेष इस विषय के सभी अनुक्रमांक यथावत रहेंगे ।

SL No	Subject	De tail	UR		OBC		SC		ST		EWS		PH		
			UR	Wom en	OBC	Wo men	SC	Wom en	ST	Wo men	EWS	Wo men	OH	HH	VH
1	Law	[A]	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		[B]	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		[C]	184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

विषय-विधि

UR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107440	—	—	—	—	—	—	—	—	—

शेष यथावत रहेगा ।

निरं..... 4

(Signature)

अतिरिक्त संशोधित परिणाम (प्रावाधिक) विषय-समाज कार्य

राज्य पात्रता परीक्षा 2022 के परीक्षा परिणाम हेतु जारी विज्ञप्ति क्रमांक 286/2023/सेट दिनांक 07.12.2023 के जारी विषयों के परिणामों में समाज कार्य विषय के परीक्षा परीणाम से निम्नानुसार परिवर्तन करते हुए अन्य अनारक्षित वर्ग के तकनीकी कारण से घोषित न हो पाए 01 अर्ह अनुक्रमांक को जोड़ा जाता है शेष इस विषय के सभी अर्ह अनुक्रमांक यथावत रहेंगे ।

SL No	Subj ect	Detail	UR		OBC		SC		ST		EWS		PH		
			UR	Wom en	OBC	Wom en	S C	Wo men	ST	Wom en	EWS	Wome n	O H	H H	V H
1	Socia l Work	[A]	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		[B]	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		[C]	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

विषय-समाज कार्य

UR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
105570	—	—	—	—	—	—	—	—	—

शेष यथावत रहेगा ।

नोट :-

1. यदि किसी श्रेणी का कट ऑफ एवं उसी श्रेणी के महिला प्रवर्ग का कट ऑफ समान है तो दोनों के लिये कट ऑफ अंक तालिका में प्रदर्शित किये गए हैं ।
2. यदि किसी श्रेणी में महिला प्रवर्ग का कट ऑफ उसी श्रेणी के कट ऑफ से कम है तो दोनों के लिए कट ऑफ अंक तालिका में प्रदर्शित किये गए हैं ।
3. यदि किसी श्रेणी में अंतिम चयनित महिला अभ्यर्थी उसी श्रेणी के अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्त करती है अर्थात् महिलाओं को आरक्षण कोटा पूर्व में ही पूर्ण हो गया है तो उस श्रेणी का कट ऑफ तालिका में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के लिये कट ऑफ अंक तालिका में प्रदर्शित किये गए हैं ।
4. यू.एफ.एम. के 06 अभ्यर्थियों की परीक्षा आयोग के निर्णय अनुसार निरस्त की जाती है ।

टीप :-

1. राज्य पात्रता परीक्षा प्रकोष्ठ मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर ने उम्मीदवारों द्वारा उनके ऑनलाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर यह परीक्षा परिणाम/इलेक्ट्रानिक प्रमाण पत्र जारी किया गया है । नियुक्ति प्राधिकारी को अभ्यर्थी की नियुक्ति पर विचार करते समय उम्मीदवारों के मूल अभिलेखों/प्रमाणपत्रों का सत्यापन अनिवार्यतः कर लेना चाहिए । उम्मीदवार द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत जानकारी के लिए राज्य पात्रता परीक्षा प्रकोष्ठ मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर उत्तरदायी नहीं होगा । उम्मीदवारों को mppsc set की अधिसूचना में निर्धारित न्यूनतम पात्रता शर्तों को पूर्ण करना होगा । किसी भी असत्य जानकारी के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही जिम्मेदार होगा ।

निरं..... 5

mm

2. परीक्षा परिणाम के प्रावाधिक पात्र अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक विषयवार एवं श्रेणीवार आयोग की वेबसाईट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध है । यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी प्रकार की मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखा राज्य पात्रता परीक्षा 2022 का परिणाम ही प्रमाणित माना जाएगा ।
3. पात्र अभ्यर्थी राज्य पात्रता परीक्षा 2022 का प्रमाण पत्र आयोग की वेबसाईट से डाउनलोड करेंगे । यह प्रमाण पत्र परीक्षार्थी को पृथक से नहीं भेजा जाएगा ।
4. परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि / लिपिकीय त्रुटि आयोग के संज्ञान में आती है तो उसके पास परीक्षा परिणाम सुधारने का पूर्णतः अधिकार सुरक्षित रहेगा ।
5. सेट- 2022 की परीक्षा में सम्मिलित किसी भी अभ्यर्थी को पृथक से अंक सूची नहीं भेजी जाएगी
6. न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा ।
7. सेट परीक्षा से संबंधित अन्य अपडेट्स के लिए आयोग की वेबसाईट का अवकलोकन करें ।
8. ऐसे अभ्यर्थी जो राज्य पात्रता परीक्षा 2022 में सम्मिलित हुए थे तथा राज्य पात्रता परीक्षा में आवेदन करते समय स्नातकोत्तर चतुर्थ सेम/तृतीय सेम अथवा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष में अध्ययनरत थे उनका घोषित किया जा रहा परीक्षा परिणाम पूर्णतः प्रावधिक रहेगा । प्रमाण पत्र अन्तिम रूप से विज्ञापन में वर्णित शर्तों के अनुसार (न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 55 प्रतिशत अनारक्षित वर्ग/ ई.डब्ल्यू.एस. तथा 50 प्रतिशत आरक्षित वर्ग के स्नातकोत्तर विषय में प्राप्त शैक्षणिक अर्हता के पश्चात् निर्धारित समयावधि तक जारी किया जाएगा ।

परीक्षा नियंत्रक (सेट)